मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 28, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 114 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 114 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षा से वंचित करने,
(2) श्री शिवनारायण मीना, सदस्य ने गुना जिले में एक सिक्ख सन्त का अपहरण होने,
(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित न करने,
(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य ने रतलाम जिले में सार्वजनिक वितरण की दुकानों में कालाबाजारी होने,
(5) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले के अनेक ग्रामों की सड़कों के कार्य अपूर्ण होने,
(6) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य ने छतरपुर जिले के गौरीहार में पाला पीड़ितों को मुआवजा न मिलने,
(7) श्री रोडमल राठौर, सदस्य ने उज्जैन जिले के तराना स्थित महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के न होने तथा
(8) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य ने चंदेरी की कृषि उपज मण्डी को पूर्ण मण्डी बनाये जाने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2009-10 पटल पर रखी।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 पटल पर रखा।

4. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011)	1 घण्टा
(2)	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011)	1 घण्टा
(3)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011)	30 मिनट
(4)	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011)	1 घण्टा
(5)	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)	30 मिनट
(6)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011)	1 घण्टा
(7)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011)	30 मिनट
(8)	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011)	1 घण्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने भिण्ड जिले में रेत निकासी में रायल्टी की चोरी होने की ओर राज्य मंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, खनिज साधन तथा श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री परसराम मुद्‌गल तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्यगण ने प्रदेश में शासकीय योजनाओं हेतु जमीन विनिमय की प्रणाली जटिल होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(3) सर्वश्री जेवियर मेड़ा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, केदारनाथ शुक्ल, रामनिवास रावत, बालाराम बच्चन, सदस्यगण तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने सीधी जिले में मनरेगा एवं बायोफ्यूल मिशन योजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में सदन की समिति से जांच की मांग न मानने पर, शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(4) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह क्षेत्र के सनावद नगर स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय घोषणा

(1) उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज दिनांक 19 जुलाई, 2011 को अपराह्न 1 से 2 बजे तक, विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समस्त माननीय सदस्यों की कृपया उपस्थिति प्रार्थनीय है।

(2) उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, आज की कार्य सूची के पद 5 तक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

7. अध्यक्षीय निर्देश

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन को सूचना दी गई कि आज राजभवन, भोपाल के पास कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महासचिव के साथ धरना स्थल पर बैठे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, इस पर शासन द्वारा जानकारी प्राप्त की जाए। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में सदन को आश्वस्त किया गया।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, श्री सुरेन्द्र पटवा एवं श्री हरी सिंह रघुवंशी, सदस्यगण को विधान सभा के वर्तमान सत्र जुलाई, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के -

(क) राजगढ़ में पेयजल व्यवस्था किये जाने,
(ख) सरदारपुर एवं राजगढ़ में गैस एजेन्सी खोले जाने,
(ग) ग्राम रिंगनोद से मालपुरिया तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
(घ) सरदारपुर के वार्ड क्रमांक-2 में खरंजा एवं पुलिया निर्माण किये जाने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) ग्राम बरूगढ़ के माध्यमिक विद्यालय तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम सोहनगढ़ से कंचनखेड़ी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम कलालिया से झालवा तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
(घ) रतलाम के जवाहर नगर में बगीचे का निर्माण किये जाने,

(3) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की देवास जिले के -

(क) सोनकच्छ में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने, तथा
(ख) सोनकच्छ में बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने,

(4) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -

(क) ग्राम रसीलपुर में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम विनती में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम पंचायत देवरागढ़ी एवं ग्राम बरखेरा कलार के अनु.जा. मोहल्ले में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने तथा
(घ) ग्राम बगुरिया में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(5) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के सांईखेड़ा एवं बाबई चिचली में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

(अपराह्न 1.05 से 3.02 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

10. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री कैलाश जोशी तथा प्रेमचंद गुड्डू, सांसदगण की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया।

11. स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2011 को कांग्रेस महासचिव के उज्जैन प्रवास के समय, काले झण्डे दिखाने एवं पथराव की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त 27 सूचनाओं में से श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष की पहले प्राप्त सूचना को पढ़ा गया। सदन की सहमति के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य कर, तत्काल प्रारंभ की गई चर्चा में, निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रियव्रत सिंह
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री

(3) श्री हेमराज कल्पोनी
(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री
(5) श्री शिवनारायण मीना
(6) श्री केदारनाथ शुक्ल
(7) श्री मूल सिंह
(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(9) श्री रामलाल मालवीय
(10) श्री शंकरलाल तिवारी

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की घोषणा की गई।)

(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री सुदर्शन गुप्ता
(13) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(14) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(15) डॉ. कल्पना परूलेकर
(16) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(17) डॉ. गोविन्द सिंह
(18) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा
(19) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(20) श्री आत्माराम पटेल
(21) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(22) श्री जीतू जिराती

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(23) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 29, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2011